

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 47 अ-82/2017-18 / 376 / 4479

बैतूल दिनांक 09/10/04/2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	काठी	11.291	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	पंजाबराव वल्द राधेलाल भोयर सा. देह भूमि स्वामी	228/4	0.347	0.080
		231/2	0.210	0.210
		232/2	0.093	0.093
2	कचरा बेवा सुंदरलाल, बाबूलाल, साहबलाल, दयाल, लयराम वल्द सुंदरलाल, सुनिता, कमला पिता सुंदरलाल, केकई बेवा दयाराम वली मां मां केकई, रोशनी ना. बा. पिता दयाल वली मां केकई सा. देह	243/3	0.142	0.142
		243/4	0.562	0.562
		243/6	0.323	0.223
3	कमल पिता भगन कल्लू व. घुड़न दनाजी मनाजी गनाजी व. कुन्दन सीता चम्पा सुनिता पिता कुन्दन माहो बेवा कुन्दन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	243/1	0.142	0.142
		243/7	0.363	0.263

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
4	किसनजी, बाबूराव व. बाजी, मुन्ना पिता बाजी रमेशे वल्द शिवराम, नान्ही, मुन्नी, परमिला पिता शिवराम, भड़त्या व. गेंदलाल, श्यामराव व. तेजी, मानिक, दिनू, सुभाष, दिनेश वल्द बाला, लता, गीता, सविता पिता बाला, सुखदेव, लल्लू वल्द अमरुत, ललिता पिता अमरुत, तुरसी बेवा बाला, नान्ही पिता राधेलाल पंवार सा.देह	228/3	0.766	0.766
		231/1	0.211	0.211
5	रुख्माबाई जौ. श्यामराव पंवार सा. देह	232/1	0.093	0.093
		233	0.393	0.393
		234	0.162	0.162
6	शिवशंकर वल्द दशरया सा. देह भूमिस्वामि	237/3	0.639	0.249
7	चेनी जौ. मदनलाल सा.देह भूमिस्वामी	237/4	0.182	0.182
8	घुड़िया व. दुमरू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	238/1	0.267	0.267
		240	0.316	0.316
9	चैत्या वल्द सीताराम दस्सर व. सीताराम पंवार सा.देह भूमिस्वामी	238/2	0.267	0.267
		240/1	0.316	0.316
		544/1	0.220	0.220
10	कैलाश वल्द चैत्या कमला वल्द चैत्या पंवार सा. देह भूमिस्वामी	240/2	0.081	0.081
		544/2	1.108	1.108
11	प्रेमलाल, रेवजी वल्द कमला पिता चैत्या पंवार सा. देह	239/1	0.338	0.338

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
12	बाया बेवा हिराजी, नान्ही, नन्हिया पिता हिराजी, मनोज, उमेश व. बाबूलाल ममता पिता बाबुलाल नान्ही बेवा बाबुलाल, सुरेश, सुरेन्द्र मोनू रमेश वल्द ओझा, सोनू सुकू ना.बा.व. ओझा वली मां देवकी, लता पिता ओझा जुगनी, देवकी बेवा ओझा पंवार सा. देह भूमिस्वामी	241	0.615	0.615
		242	1.141	1.141
13	मुन्नी जौ. कैलाश पंवार सा. देह भूमि स्वामी	243/2	0.263	0.160
14	मनोहर वल्द घुडिया सा.देह भूमि स्वामी	545/2	0.234	0.234
15	मदन, शिवशंकर, शिवपाल व. दसरया, जुगना, उर्मिला, जानकी पिता दसरया, प्रहलाद, कैलाश प्रकाश, दयानंद व बिहारी, अनिता पिता बिहारी, सा. देह भूमि स्वामी	243/5	0.565	0.365
16	चेनी जौ. मदनलाल सा.देह भूमिस्वामी	249/4	0.502	0.302
17	मोहनलाल, मदनलाल, इमरत वल्द रेवजी पता सा.देह भूमि स्वामी मोहनलाल व. नंदलाल पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी	249/2	0.847	0.190
		251	0.190	0.100

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
18	गणू व. छोटै पता सा. देह भूमि स्वामी	252	0.340	0.340
		253	0.182	0.100
19	रेवजी वल्द लहया सा. देह भूमि स्वामी	254/1	0.930	0.150
20	मोहनलाल, मदनलाल, इमरत वल्द रेवजी सा.देह	254/2	2.133	0.910
कुल योग			15.483	11.291

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग





पृ0क0 47 अ-82/वर्ष 17-18/काठी/५५७
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक $\frac{9}{10}$ -04-2018

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार आमला की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत काठी तहसील आमला जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग


